

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0 9/आ0-2-31/2013

472 (9) दिनांक- 28/04/2016

डा0 विजय कुमार सिंह, तत्कालीन सिविल सर्जन, अरवल के विरुद्ध भ्रष्टाचार में लिप्त श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, लिपिक, सिविल सर्जन कार्यालय, अरवल को निलंबन मुक्त करने एवं बिना प्रक्रिया पालन किए विभागीय कार्यवाही संचालित कर उसे सहायता पहुँचाने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0-851(9) दिनांक 15.09.14 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में विधिवत आरोप पत्र गठित नहीं किये जाने तथा उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त नहीं किये जाने संबंधी आरोपों को प्रमाणित पाया है। विभागीय पत्रांक-487(9) दिनांक 11.06.15 द्वारा डा0 विजय कुमार सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

आरोप अधिगम तथा डा0 सिंह द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर के विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षा की गई। सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत डा0 विजय कुमार सिंह, तत्कालीन सिविल सर्जन, अरवल सम्प्रति अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना को निम्नांकित दंड दिया जाता है -

1. निंदन की सजा।
2. भविष्य में सतर्क रहने हेतु चेतावनी।
3. संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(नागेन्द्र प्रमुख)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-सं0सं0 9/आ0-2-31/2013

472 (9) दिनांक:- 28/04/2016

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0ह0) बिहार, पटना/अवर सचिव वित्त(बै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, मगध प्रमंडल, गया/सिविल सर्जन, अरवल/प्राचार्य/अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा0 विजय कुमार सिंह, तत्कालीन सिविल सर्जन, अरवल सम्प्रति अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा - 01, 02, 03, 08 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(नागेन्द्र प्रमुख)

सरकार के अवर सचिव